



2026:AHC: 33438-DB

निर्णय सुरक्षित :- 28.01.2026

निर्णय पारित :- 16.02.2026

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 83/2005

रईस

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज़िया नाज़ ज़ैदी के साथ मोहम्मद हदी ज़ैदी और सुश्री मुबशशरा सिद्दीकी, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री पवन कुमार श्रीवास्तव को सुना गया और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि शिकायतकर्ता मोहम्मद ज़ाबिर ने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भतीजी नूर जहाँ का विवाह घटना से 13 वर्ष पूर्व अभियुक्त रईस के साथ हुआ था और उसके चार बच्चे हैं, यानी दो बेटे और दो बेटियाँ। 30.08.2003 को सुबह लगभग 05:00 बजे, उसे गाँव ढकिया जाट से सूचना मिली कि रईस ने उसकी भतीजी नूर जहाँ और उसके तीन बच्चों की हत्या कर दी है। इस सूचना पर, वह अपने ग्रामीणों और नूर जहाँ के पिता के साथ गाँव गजरौला पहुँचा और घटना के बारे में पूछताछ किया। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि पिछली रात, अभियुक्त रईस हमेशा की तरह अपने बच्चों के साथ घर में सो रहा था। कुछ बातों को लेकर पति-पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हुई और अभियुक्त रईस ने चाकू घोंपकर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपनी पत्नी नूर जहाँ और अपने तीन बच्चों यानी रुखसार, मुकीम और सवीना की हत्या कर दी। अभियुक्त रईस का एकमात्र जीवित पुत्र अज़ीम है, जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष है, जिसने उसे बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ और तीन भाई-बहनों की हत्या कर दी है। उनके शव घर के आँगन में पड़े हैं और अभियुक्त रईस फरार हो गया है। यह घटना 29/30.08.2003 की रात लगभग 1 बजे हुई थी। इस रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

3. विवेचना अधिकारी ने मामले की विवेचना की और नक्शा-नजरी तथा विवेचना से संबंधित अन्य कागजात तैयार किए। उन्होंने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्षीगण के बयान दर्ज किए। उन्होंने मृतकों के शवों के पंचायतनामा भी तैयार किए। इसके अलावा डॉ. डी.के. शुक्ला द्वारा मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया। पूरी विवेचना पूरी करने के बाद, विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने अपने आदेश दिनांक 14.01.2004 के माध्यम से वाद को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।

5. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त रईस के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे उसने इनकार किया और विचारण की माँग किया।

6. अभियोजन ने वाद को सिद्ध करने के लिए पी.डब्ल्यू.-1, मोहम्मद ज़ाबिर; पी.डब्ल्यू.-2, अज़ीम; पी.डब्ल्यू.-3, छिद्दा; पी.डब्ल्यू.-4, महमूद हसन उर्फ नन्हे; पी.डब्ल्यू.-5, डॉ. पी.के. शुक्ला और पी.डब्ल्यू.-6, एस.एस.आई. यतेंद्र बाबू भारद्वाज को परीक्षित किया।

7. पी.डब्ल्यू.-5 डॉ. पी.के. शुक्ला द्वारा 30.08.2003 को शाम 07:00 बजे किए गए, पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) के अनुसार, मृतक नूर जहाँ के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गई :-

(i) गर्दन के चारों ओर स्टर्नल नॉच और बाईं हंसली के 2 सेमी ऊपर 13 सेमी x 4 सेमी आकार का कटा हुआ घाव, सिर का हिस्सा गर्दन के दाहिनी ओर की त्वचा और मांसपेशियों से शरीर से जुड़ा हुआ, घाव के नीचे स्थित धमनियाँ, नसों, श्वासनली, ग्रासनली और कशेरुक स्तंभ तथा मांसपेशियों सहित सभी संरचनाएं आर-पार कटी हुई थीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त डॉक्टर ने मृतक मुकीम के शरीर पर भी मृत्यु-पूर्व चोटें पाईं, जिसका पोस्टमार्टम 30.08.2003 को शाम 07:25 बजे किया गया था :-

(i) गर्दन के सामने और दाहिने तथा बाएं दोनों तरफ 11 सेमी x 3 सेमी आकार का कटा हुआ घाव और सिर गर्दन के पीछे की तरफ की त्वचा और मांसपेशियों से शरीर के सामने के हिस्से से जुड़ा हुआ। घाव के नीचे स्थित सभी मांसपेशियां, ग्रासनली, नसें, श्वासनली और कशेरुक स्तंभ तथा मेरुरज्जु आर-पार कटे हुए थे।

9. उपरोक्त डॉक्टर द्वारा 30.08.2003 को रात 08:10 बजे तैयार की गई मृतक रुखसार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गई :-

(i) गर्दन के दोनों ओर सामने की तरफ 8 सेमी x 3 सेमी आकार का कटा हुआ घाव, यह स्टर्नल नाँच से 3 सेमी ऊपर है, रीढ़, मांसपेशियां, श्वासनली, धमनियां और नसें चोट के आकार के अनुरूप आर-पार कटी हुई थीं।

10. उपरोक्त डॉक्टर द्वारा 30.08.2003 को शाम 07:50 बजे किए गए मृतक सवीना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गई :-

(i) गर्दन के चारों ओर 7 सेमी x 4 सेमी आकार का कटा हुआ घाव, दोनों कानों और ठुड़ी के 1 सेमी नीचे सामने की तरफ और गर्दन के दोनों ओर और सिर पीछे की तरफ त्वचा और मांसपेशियों के हिस्से से शरीर से जुड़ा हुआ। घाव के स्थान पर मांसपेशियों, नसों, श्वासनली, कशेरुक स्तंभ और मेरुरज्जु सहित सभी संरचनाएं आर-पार कटी हुई थीं।

11. धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में, अभियुक्त ने शत्रुता के कारण प्रकरण में झूठा फँसाए जाने का अभिलेखन किया।

12. प्रतिद्वंद्वी दलीलों, विचारण न्यायालय के अभिलेख पर मौजूद सामग्री और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 तथ्य के साक्षी हैं और पी.डब्ल्यू.-3 तथा पी.डब्ल्यू.-4, वे साक्षी हैं, जिनके सामने अपीलार्थी द्वारा न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति की गई थी।

13. पी.डब्ल्यू.-1 इस वाद का सूचनादाता है, जिसने दावा किया है कि उसे सूचित किया गया था कि अपीलार्थी की पत्नी और उसके तीन बच्चों की हत्या अपीलार्थी द्वारा की गई है। पी.डब्ल्यू.-1 अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सका, जिसने उसे उसके गाँव, जो अपीलार्थी के गाँव से 8 किमी दूर स्थित है, में उपरोक्त हत्याओं के बारे में सूचना दी थी। कथित घटना के संबंध में पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा दी गई और प्राप्त की गई सूचना के तरीके और ढंग के संबंध में पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयानों में विरोधाभास है। जबकि पी.डब्ल्यू.-1 ने दावा किया कि उसे सुबह 5 बजे एक अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिली कि उसकी भतीजी नूर जहाँ और उसके तीन बच्चों की हत्या 29/30.08.2003 की दरमियानी रात को 12-1 बजे के बीच की गई है।

14. अपीलार्थी के जीवित पुत्र पी.डब्ल्यू.-2 अज़ीम ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी जिरह में बताया कि उसके खालू (मौसा) यूनस ने फोन पर पी.डब्ल्यू.-1 को सूचित किया और उसे अपीलार्थी के गाँव बुलाया, जहाँ उसका खालू यूनस भी अपने परिवार के साथ रहता था। इसलिए पी.डब्ल्यू.-1 का यह बयान कि उसे अपने गाँव में किसी अज्ञात व्यक्ति से सूचना मिली, सही प्रतीत नहीं होता है।

15. अपीलार्थी के नाबालिग पुत्र पी.डब्ल्यू.-2 अज़ीम ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि अपनी माँ, भाई और बहनों की हत्या के समय वह अपने घर में था और खुद को छिपा लिया था और अपनी माँ, भाई और बहनों की हत्या करने के बाद, उसके पिता घर से चले गए और जब उसकी खाला (यूनस की पत्नी) उसके घर आई और तब वह छिपने की जगह से बाहर आया।

16. यह उल्लेखनीय है कि पी.डब्ल्यू.-1 मृतक नूर जहाँ का चाचा है और उसके पिता इलियास और माँ जीवित थे, लेकिन उन्होंने अपने दामाद (अपीलार्थी) के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पी.डब्ल्यू.-1 ने दावा किया कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा, तो उसका भाई मोहम्मद इलियास (मृतक नूर जहाँ का पिता) और अन्य भाई शाकिर हुसैन; नूर जहाँ की माँ अनीसा, भतीजा आदि कुल 20 लोग घटना स्थल पर पहुँच चुके थे और घटना स्थल पर जमा ग्रामीणों ने उन्हें सूचित किया कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अपीलार्थी ने कथित हत्याएं कर दी। जिरह के दौरान पी.डब्ल्यू.-1 ऐसे एक भी ग्रामीण का नाम नहीं बता सका, जिसने उसे सूचित किया हो कि उस मनहूस रात को अपीलार्थी और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। जिरह में पी.डब्ल्यू.-1 ने स्वीकार किया कि मृतक नूर जहाँ के माता-पिता के अलावा उसके तीन भाई भी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई या अपीलार्थी के विरुद्ध वाद सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में कटघरे में कदम नहीं रखा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. पी.डब्ल्यू.-2 के बयान से यह स्पष्ट है कि अपनी मुख्य परीक्षा में उसने कहा है कि उसने अपनी आँखों से घटना देखी, उसकी माँ, दो बहनों और एक भाई की हत्या, उसके पिता ने चाकू (छूरी) से की और वह छिप गया। जब उसकी खाला आई, तो वह छिपने की जगह से बाहर आया। अपनी जिरह में पी.डब्ल्यू.-2 ने स्वीकार किया कि वह गाँव ढकिया में पी.डब्ल्यू.-1 और उसकी पत्नी के साथ रह रहा है और पी.डब्ल्यू.-1 उसे 'टॉफी' आदि खरीदने के लिए पैसे देता है और वह पढ़ नहीं रहा है। वह पी.डब्ल्यू.-1 के निर्देशों का पालन करता है, जिसने इस वाद में एक निजी अधिवक्ता को नियुक्त किया है। पी.डब्ल्यू.-1 और उसकी पत्नी उसे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन और पहनने के लिए अच्छे कपड़े देते हैं। पी.डब्ल्यू.-1 ने उसे, उसके निर्देशानुसार न्यायालय में बयान देने का निर्देश दिया है, अन्यथा वह उसे अपने घर से निकाल देगा। उसने न्यायालय के समक्ष अपनी जिरह में स्वीकार किया कि पी.डब्ल्यू.-1 उसे बयानों को सिखाने-पढ़ाने के लिए निजी अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता के घर ले गया और चूँकि उसे अधिवक्ताओं द्वारा सिखाया गया था, इसलिए उसने न्यायालय के समक्ष सिखाए गए बयान दिए हैं। उसने स्वीकार किया कि यूनस उसका खालू है और अपनी पत्नी (उसकी खाला) के साथ रहता है, लेकिन वह उसका नाम नहीं जानता। उनका घर उसके घर से दस कदम की दूरी पर स्थित है। घटना के समय उसकी माँ ने शोर मचाया और 50 से अधिक लोग जमा हो गए थे और यूनस और उसकी पत्नी भी आए थे। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी माँ के शव के पास जाकर रोया नहीं था। उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसके पिता (अपीलार्थी) दूसरे जिले में ठेकेदार के रूप में भूसा बेचते हैं। उसने आगे कहा कि यह सही है कि घटना के दिन उसके पिता ट्रैक्टर में भूसा बेचने गए थे। घटना के बाद उसे फोन पर सूचित किया गया और वह घटना के अगले दिन सुबह लगभग 9-10 बजे घर पहुँचा, जहाँ शव पड़े थे। उसके पिता मृतकों के शवों पर रोए और चूँकि वह रोते हुए गिर गए और शवों से लिपट गए, इसलिए उनके कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए। जब उसके पिता आए, तो पी.डब्ल्यू.-1 वहाँ मौजूद था और उनके बीच गाली-गलौज हुई और पी.डब्ल्यू.-1 ने उसके पिता को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। उसने स्वीकार किया कि घटना स्थल पर उसके द्वारा प्रकाश के स्रोत के रूप में बताई गई "डिबिया" अधिवक्ता द्वारा सिखाई गई थी। उसने अपनी जिरह में आगे बताया कि उसके पिता को पुलिस ने बुरी तरह पीटा था और उनके नाखून उखाड़ दिए गए थे। उसने आगे स्वीकार किया कि पी.डब्ल्यू.-1 को उसके खालू ने टेलीफोन पर बुलाया था और तब वह गाँव आया था। उसने स्वीकार किया कि उसने शासकीय अधिवक्ता और पी.डब्ल्यू.-1 के सिखाने पर झूठा बयान दिया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. यदि पी.डब्ल्यू.-2 के बयान को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपीलार्थी के बयान के साथ पढ़ा जाए, तो हम पाते हैं कि प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय वह गाँव के बाहर भूसा बेचने गया था। उसने प्रस्तर-14 के उत्तर में यह भी कहा कि पी.डब्ल्यू.-1 के साथ उसकी शत्रुता के कारण उसे इस वाद में फँसाया गया है।

19. डी.डब्ल्यू.-1 डॉ. सुनील कुमार, जो कारागार के डॉक्टर थे, ने सिद्ध किया कि उन्होंने 2.9.2003 को कारागार में अपीलार्थी का चिकित्सकीय परीक्षण किया और उसके शरीर पर चार चोटें पाई :-

1. उसके माथे पर $1 \times \frac{1}{4}$ सेमी का विदीर्ण घाव मांसपेशी तक गहरा।
2. दाहिनी टाँग पर पीछे की तरफ 17×9 सेमी का नीलगू निशान।
3. बाईं टाँग के पीछे की ओर 19×11 सेमी का नीलगू निशान।
4. दोनों हाथों पर $1 \times \frac{1}{2}$ सेमी की खरोच, जिसमें 3 और 4 उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे।

20. डॉक्टर ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी की तीसरी और चौथी उंगलियों के नाखून किसी औजार से खींचकर तोड़े जा सकते थे। अन्य चोटें पिटाई के कारण आई हो सकती थीं।

21. इर्शाद अहमद डी.डब्ल्यू.-2 के रूप में उपस्थित हुए और इस बात से इनकार किया कि वह अपीलार्थी की कथित निशानदेही पर की गई चाकू की बरामदगी के साक्षी थे, इसलिए अपीलार्थी की निशानदेही पर चाकू की बरामदगी, इस न्यायालय का विश्वास नहीं जगाती है।

22. विवेचना अधिकारी पी.डब्ल्यू.-6 के बयान की असत्यता इस तथ्य से सिद्ध होती है कि उन्होंने कहा है कि अपीलार्थी को अभिरक्षा में कभी नहीं पीटा गया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि थाने में अपीलार्थी के नाखून उखाड़े गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि अभियुक्त ने अपनी गिरफ्तारी के 1 - $\frac{1}{4}$ घंटे बाद अपराध करने की स्वीकारोक्ति किया। उनका बयान कारागार चिकित्सक डी.डब्ल्यू.-1 द्वारा अपीलार्थी के शरीर पर पाई गई चोटों के विपरीत है, जिन्होंने सिद्ध किया कि अपीलार्थी के नाखून उखाड़े गए थे।

23. पी.डब्ल्यू.-6 ने बताया कि अपीलार्थी उन्हें 31.8.2003 को मिला था, लेकिन वह न्यायालय के समक्ष गिरफ्तारी का फर्द सिद्ध नहीं कर सके। चाकू की बरामदगी के साक्षीगण, छिद्दा और महमूद हसन के बयान 24.10.2003 को अंकित किए गए, जबकि अपीलार्थी की निशानदेही पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाकू की बरामदगी 31.8.2003 को ही हो गई थी। पी.डब्ल्यू.-6 दिनांक 24.10.2003 को हथियारों की बरामदगी के संबंध में साक्षीगण के बयान अंकित करने में देरी का कारण नहीं बता सके। उन्होंने घटना स्थल से कोई 'डिबिया' बरामद नहीं किया और पी.डब्ल्यू.-2 के बयान के साथ पढ़ने पर, घटना के समय घटना स्थल पर कोई 'डिबिया' नहीं जल रही थी और पी.डब्ल्यू.-2 ने शासकीय अधिवक्ता के सिखाने पर 'डिबिया' के बारे में बताया है। इसलिए, हम पाते हैं कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी का समय और स्थान तथा उसकी निशानदेही पर चाकू की बरामदगी विश्वसनीय नहीं है और अभियोजन पक्ष के इस प्रकरण को सिद्ध नहीं करती है कि अपीलार्थी आधी रात को कथित अपराध करने के बाद गायब हो गया था।

24. पी.डब्ल्यू.-2 ने बताया कि उसके पिता (अपीलार्थी) को घटना की टेलीफोनिक सूचना मिलने के बाद अगले दिन सुबह 9 से 10 बजे घर आए थे। उसके बाद उनका पी.डब्ल्यू.-1 के साथ झगड़ा हुआ और फिर पी.डब्ल्यू.-1 ने उसके पिता को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। यह इस बात का कारण स्पष्ट करता है कि पुलिस ने अपीलार्थी की गिरफ्तारी का फर्द क्यों नहीं बनाया है।

25. हम आगे पाते हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध अन्य साक्षीगण पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 के बयानों के रूप में हैं, जिन्होंने दावा किया है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करने के संबंध में उनके सामने न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति किया था। उन्होंने बताया है कि अपीलार्थी ने उन्हें विश्वास में लेकर बताया था कि कुछ पुरुष उसके घर आया करते थे और उसके बच्चों ने उसे इस संबंध में सूचित किया था। इसलिए, उसने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी है। दोनों साक्षीगण ने बताया कि घटना की अगली सुबह अपीलार्थी उनके पास गया और घटना के बारे में जानकारी दी और उनके सामने न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति किया।

26. हम पाते हैं कि दोनों साक्षीगण अलग गाँव यानी डकिया पेरु दिलारी के निवासी हैं, न कि अपीलार्थी के गाँव गजरौला के निवासी हैं। न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति के साक्ष्य मूल्य पर न्यायालयों द्वारा कई बार विचार किया गया है और इसे कमजोर प्रकार का साक्ष्य पाया गया है, जिसे अन्य साक्ष्यों से पुष्टि के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि इसमें कोई महत्वपूर्ण विसंगति हो या स्वाभाविक रूप से असंभव होने के कारण यह न्यायालय का विश्वास नहीं जगाती हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27. हम आगे पाते हैं कि पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 के बयान विवेचना अधिकारी द्वारा 29.8.2003 की घटना के दो माह बाद 29.10.2003 को दर्ज किए गए थे, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने रामू अप्पा महापात्र बनाम महाराष्ट्र राज्य, फौजदारी अपील संख्या 608 वर्ष 2013 के वाद में न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति के मुद्दे पर निम्नानुसार विचार किया है:-

"18. संसार चंद बनाम राजस्थान राज्य में, इस न्यायालय ने न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता को स्वीकार किया और अभिनिर्धारित कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती, हालांकि सामान्यतः न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति की पुष्टि किसी अन्य सामग्री से होनी चाहिए।

19. न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति के साक्ष्य मूल्य का इस न्यायालय द्वारा सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य में फिर से विस्तार से परीक्षण किया गया। वह भी एक ऐसा वाद था, जहाँ दोषसिद्धि न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति पर आधारित थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में, घटनाओं की पूरी श्रृंखला को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, जो निस्संदेह अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करे। उसके अलावा, पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के वाद में जहाँ अभियोजन न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति पर भरोसा करता है, न्यायालय को इसे अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जाँचना होगा। एक न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है तथा स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में की गई है, तो न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। हालाँकि, स्वीकारोक्ति को किसी भी अन्य तथ्य की तरह सिद्ध करना होगा। स्वीकारोक्ति के साक्ष्य का मूल्य किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह उस साक्ष्य की सत्यता पर निर्भर करता है, जिसके सामने यह की गई है।

19.1. इस न्यायालय ने स्वीकार किया कि न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर हिस्सा है। जहाँ भी न्यायालय न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि का आधार बनाना चाहता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विश्वास जगाती हो और अन्य अभियोजन साक्ष्यों द्वारा पुष्ट हो। यदि न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण विसंगतियों या अंतर्निहित असंभवताओं से ग्रस्त है और सुसंगत प्रतीत नहीं होती है, तो ऐसे साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14- यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर हिस्सा है। जहाँ भी न्यायालय, संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य के उचित विश्लेषण पर, किसी न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि का आधार बनाना चाहता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विश्वास जगाती हो और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा उसकी पुष्टि होती हो। हालाँकि, यदि न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति तात्त्विक विसंगतियों या अंतर्निहित असंभाव्यताओं से ग्रस्त है और अभियोजन पक्ष के वृत्तांत के अनुसार सुसंगत प्रतीत नहीं होती है, तो न्यायालय के लिए ऐसी स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि का आधार बनाना कठिन हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय ऐसे साक्ष्य को विचार से बाहर रखने में पूरी तरह से न्यायोचित होगा।

19.2- न्यायिक पूर्व-निर्णयों के गहन विश्लेषण पर, इस न्यायालय ने सहदेवन (उपरोक्त) में उन सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जो एक न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति को साक्ष्य का एक ग्राह्य हिस्सा बनाएंगे, जो किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार बनने में सक्षम हो :

- (i) न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति अपने आप में एक कमजोर साक्ष्य है। न्यायालय द्वारा इसकी अधिक देखभाल और सावधानी के साथ परीक्षा की जानी चाहिए।
- (ii) यह स्वैच्छिक रूप से की जानी चाहिए और सत्य होनी चाहिए।
- (iii) यह विश्वास जगाने वाली होनी चाहिए।
- (iv) एक न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति अधिक विश्वसनीयता और साक्ष्य मूल्य प्राप्त करती है यदि यह सुसंगत परिस्थितियों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित है और आगे अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा पुष्ट होती है।
- (v) किसी न्यायिक-बाह्य स्वीकारोक्ति को दोषसिद्धि का आधार बनने के लिए, इसे किन्हीं तात्त्विक विसंगतियों और अंतर्निहित असंभाव्यताओं से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- (vi) अनिवार्य रूप से ऐसे कथन को किसी भी अन्य तथ्य की तरह और विधि के अनुसार सिद्ध किया जाना चाहिए।"

28- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के आलोक में, हम पाते हैं कि पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 के बयानों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वे अपीलार्थी के इतने करीब कैसे थे कि उसने अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अगली सुबह उन्हें विश्वास में लेकर बताया कि उसने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दिया है। पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 कोई सरकारी अधिकारी या गाँव के सम्मानित या प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं हैं, जो अपीलार्थी को बचा सकते थे। इसलिए उनके बयानों में विश्वसनीयता की कमी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा उनके बयान दर्ज करने में दो माह की देरी भी न्यायालय के समक्ष दिए गए, उनके बयानों की सत्यता के बारे में संदेह उत्पन्न करती है। उनका समग्र आचरण और उनके बयान संदिग्ध हैं और अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने का आधार, नहीं बनाए जा सकते हैं।

29- अब, हम पी.डब्ल्यू.-5, डॉक्टर के बयान पर आते हैं, जिन्होंने यह राय दिया है कि मृतक के शरीर पर चोटें किसी भारी धारदार हथियार से कारित की गई हो सकती हैं, जबकि अभियोजन का प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने मृतक को चाकू से घातक चोटें कारित कीं, जो भारी धारदार हथियार नहीं है। मृत व्यक्तियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्शाती है कि उन सभी की गर्दन पर केवल एक-एक कटा हुआ घाव है। सभी मृतकों को एकमात्र चोटें पहुँचाने में लगाया गया बल, ऐसा है कि गर्दन की सभी अंतर्निहित संरचनाएं, जिनमें श्वासनली, ग्रासनली और यहाँ तक कि कशेरुक स्तंभ और अंतर्निहित मेरुरज्जु तक कट गए। घावों का आकार दर्शाता है कि घातक हमला किसी बहुत भारी धारदार हथियार से किया गया था, जिसने गर्दन के नीचे की लगभग सभी आंतरिक संरचनाओं को काटकर मृतक की गर्दन को उनके शरीर से लगभग अलग कर दिया था। इसलिए, अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामद साधारण चाकू से ऐसी घातक चोटें कारित करना, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

30- हमने पी.डब्ल्यू.-1 के बयान से यह भी पाया है कि पी.डब्ल्यू.-1 के भाई और मृतक, नूरजहाँ के पिता, मोहम्मद इलियास के घर के सामने खाली ज़मीन थी, जिसे उसने 6-7 साल पहले अपने गाँव के एक कसाई को बेच दिया था। उसने आगे बताया कि इलियास के पास पूर्वोक्त ज़मीन खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया कि उसके और इलियास के बीच कोई झगड़ा हुआ था जिसमें अपीलार्थी ने अपने ससुर, इलियास का समर्थन किया था और पी.डब्ल्यू.-1 को पीटा था और उस दिन से उसने अपीलार्थी, रईस के घर जाना बंद कर दिया था। अपनी जिरह में इनकार करने के बावजूद, उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने घर में कई दावतें आयोजित की गई थीं, लेकिन वह उनमें से किसी में भी शामिल नहीं हुआ। अपीलार्थी के घर में शुभ अवसरों पर किसी भी दावत में शामिल न होने का कारण उसने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के समक्ष नहीं बताया। इससे यह सिद्ध हुआ कि अपीलार्थी और मृतक नूरजहाँ के चाचा पी.डब्ल्यू.-1 के बीच शत्रुता का तत्व था और पी.डब्ल्यू.-2 ने स्वीकार किया कि उसके पिता और पी.डब्ल्यू.-1 के बीच तब झगड़ा हुआ था, जब उसकी माँ और भाई-बहनों के शव घर में पड़े थे और उन्होंने एक-दूसरे को गाली दी थी। तत्पश्चात, पी.डब्ल्यू.-1 ने उसके पिता को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। पी.डब्ल्यू.-1 के इस आचरण पर, इस तथ्य के साथ विचार करने पर कि मृतक नूरजहाँ के पिता, माता और तीन भाई जीवित थे, लेकिन न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और न ही अभियोजन पक्ष के वाद को सिद्ध करने के लिए साक्षी के कटघरे में उपस्थित हुए, हमें यह अविश्वास करने पर मजबूर करता है कि पी.डब्ल्यू.-1, जिसने अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वह सही तथ्यों पर आधारित थी।

31- पी.डब्ल्यू.-2 ने बताया है कि उसके खालू और खाला उसके घर के करीब रहते हैं और घटना के तुरंत बाद उसकी खाला उसके घर आई थीं। उसके खालू, यूनस ने पी.डब्ल्यू.-1 को फोन किया और उसे घटना के बारे में सूचित किया। हालाँकि, न तो पी.डब्ल्यू.-2 की खाला और न ही उसके खालू ने या तो एफ.आई.आर दर्ज कराई और न ही अभियोजन के प्रकरण को सिद्ध करने के लिए विचारण में साक्षी के रूप में उपस्थित हुए।

32- निष्कर्ष निकालने से पहले हम यह दर्ज करते हैं कि यह एक माँ और उसके तीन बच्चों की अत्यंत क्रूर तरीके से की गई वीभत्स हत्या है, लेकिन हम इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि अभियोजन साक्ष्य ऐसा है, जो निर्णायक रूप से फँसाता है और सिद्ध करता है कि अपराध इस वाद के अपीलार्थी के अलावा किसी अन्य द्वारा नहीं किया गया था। अतः अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिए जाने का हकदार है।

33- अपीलार्थी पिछले लगभग 23 वर्षों से जेल में सड़ रहा है। उसे तत्काल मुक्त किए जाने का निर्देश दिया जाता है, यदि वह किसी अन्य वाद में वांछित न हो।

34- आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

35- विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



36- इस वाद से विदा लेने से पहले, हमें लगता है कि अपीलार्थी की वास्तविक सजा समाप्त नहीं हुई है। उसकी वास्तविक अग्निपरीक्षा उसके कारागार से रिहा होने के बाद शुरू होगी। उसके माता-पिता और भाई-बहन जीवित नहीं हो सकते हैं। उसकी पत्नी और तीन बच्चों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और क्या उसका जीवित पुत्र, पी.डब्ल्यू.-2, अज़ीम, जो अब लगभग 25-26 वर्ष का होगा, अपने पिता का अपने घर में स्वागत करेगा, यह भी निश्चित नहीं है। यह हमारी आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली पर एक दुखद टिप्पणी है और इसके लिए आत्मनिरीक्षण तथा न्यायाधीशों, उनके सहायक कर्मचारियों और बुनियादी ढाँचे की संख्या बढ़ाने जैसे वास्तविक उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। आपराधिक अपीलों का निर्णय करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत का कोई छोटा रास्ता नहीं है। केवल सम्मेलन और बैठकें आयोजित करने से स्थिति में कभी सुधार नहीं हो सकता है।

16 फरवरी, 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)